



Neutral Citation No.- 2026:AHC:6836

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 124 वर्ष 2026

प्रताप सिंह

याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्था(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	:	मोहम्मद उमर खान
प्रत्यर्था(गण) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद उमर खान और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना।
2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण 01.05.2025 को जालौन से उन्नाव कर दिया गया था और वह वर्तमान में कांस्टेबल चालक के रूप में कार्यरत है, लेकिन उसे कार्यमुक्त नहीं किया गया है।
3. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय प्रारंभ में प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा किया जाना चाहिए।
4. न्यायालय में प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रति प्रतिवादी संख्या 4 के समक्ष प्रस्तुत करे, जिस पर प्रतिवादी आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा।

12 जनवरी, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)